

फार्म

अचल सम्पत्ति विवरणिका वर्ष 2016-17

क्रमांक - (16)

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016-17

1 अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम अजय कुमार शर्मा

2 वर्तमान धारित पद सहायक यंत्री

3 कार्यालय का नाम - डी. एल. एम. उपसंभाग इकाविमए

4 वर्तमान वेतन.....

5 भविष्य निधि क्रमांक.....

6 कर्मचारी संख्या 8639/131

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो, उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
इकाविमए	एक नं. फ्लैट	—	2000000/-	स्वामी अजीता शर्मा पत्नी	वेतन अचत-एवं लोन लेकर		
	—	एक प्लॉट 1500 sq ft	3000000/-	—do—	स्वयं एवं पत्नी के वेतन अचत द्वारा		

हस्ताक्षर अजय कुमार शर्मा  
 नाम अजय कुमार शर्मा  
 पदनाम सहायक यंत्री

जहाँ लागू न हो काट दीजिये

... ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये

... इसमें अल्प कालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

**टिप्पणी**

— मण्डल द्वारा गृह मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने के अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वात्तिकी तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) सम्पत्ति का विवरण देवे।